जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक सुरक्षा तथा सुविधा की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र में प्रकाष्ठ का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को नियन्त्रित एवं विनियमित करने के उद्‌देश्य से उपविधियों हेतु निम्न वर्णित/उपविधियाँ बनायी गयी है। जिला पंचायत मुजफ्फरनगर में ग्रामीण क्षेत्र में प्रकाष्ठ का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को नियंत्रण एवं विनियमित करने वाली उपविधियां उल्लिखित अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जा रही हैं। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अंदर कार्यालय जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर में प्रस्तुत की जा सकती हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियां स्वीकार्य नहीं होंगी।

उपविधियां

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 (यथासंशोधित) की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत पर्यावरण के संतुलन को बनाये रखने के उद्‌देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में प्रकाष्ठ का व्यापार करने वाले व्यक्तियों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्‌देश्य से यह उपविधियाँ जनपद मुजफ्फरनगर के ग्रामीण क्षेत्र में शासकीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगी।

परिभाषाएं :-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है :

(ख) "जिला पंचायत" का तात्पर्य जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर से है,

(ग) "अध्यक्ष" का तात्पर्य, अध्यक्ष, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर से है,

(घ) "ग्राम्य क्षेत्र का तात्पर्य" अधिनियम की धारा-2 (10) में परिभाषित मुजफ्फरनगर जनपद के ग्राम्य क्षेत्र से है,

(ड.) "अपर मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य, जिला पंचायत मुजफ्फरनगर के अपर मुख्य अधिकारी से है,

(च) सक्षम प्राधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर से है।

(छ) "सार्वजनिक सड़क" का तात्पर्य उस सड़क (पुल) सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने-जाने का जनसाधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो,

प्राधिकारी में निहित हो या उसके द्वारा अनुरक्षित हो,

(ज) "वाहन" का तात्पर्य मोटर, व्हीकल अधिनियम में परिभाषित व्यवसायिक वाहन से है,

(झ) "पशुगाड़ी" से तात्पर्य समस्त पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियों से है।

उपविधियाँ

1. यह उपविधियाँ जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर के ग्राम्य क्षेत्रों से प्रकाष्ठ का व्यापार करने एवं एकत्रित करने अथवा प्रकाष्ठ का व्यापारिक दृष्टि से अभिवहन करने तथा जनपद से बाहर ले जाने या संग्रह करने पर वाहनों एवं पशुगाड़ियों आदि पर शुल्क आरोपित करने सम्बन्धी उपविधियां कहलायेगी।
2. यह उपविधियाँ ग्राम्य क्षेत्र में प्रकाष्ठ का व्यापारिक दृष्टि से अभिवहन/एकत्रित करने वाले वाहनों के चालकों/मालिकों पर प्रभावी होगी।

3. प्रत्येक व्यक्ति जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम्य क्षेत्र में प्रतिनिषिद्ध प्रजाति के वृक्षों का वन विभाग की अनुमति के बिना पातन नहीं करेगा यदि कोई व्यक्ति, संस्था प्रतिनिषिद्ध प्रजाति के वृक्षों का पालन करता है तो जिला पंचायत के सेवकों द्वारा इस प्रकार के व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित विभाग को सूचित करना होगा।

4. प्रत्येक व्यक्ति जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम्य क्षेत्र में प्रतिनिषिद्ध प्रजाति से भिन्न वृक्षों का पातन करता है और पातन के उपरान्त प्रकाष्ठ को व्यापारिक दृष्टि से एकत्रित करता है या व्यापारिक दृष्टि से प्रकाष्ठ का अभिवहन करता है तो उसे जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर को निर्धारित शुल्क अदा करना होगा। शुल्क जिला पंचायत द्वारा निश्चित स्थल पर जिला पंचायत के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त/अधिकृत/निर्दिष्ट अधिकारी, कर्मचारी अथवा इस निमित्त ठेकेदार को अदा करना होगा।

5. कोई भी व्यक्ति जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम्य क्षेत्र में प्रतिनिषिद्ध प्रजाति का वन विभाग की अनुमति से या प्रतिनिषिद्ध प्रजाति से भिन्न किसी अन्य प्रजाति के वृक्षों का पालन कर व्यापारिक दृष्टि से प्रकाष्ठ को एकत्रित एवं अभिवहन करता है तो जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है।

6. कोई भी व्यक्ति किसी भी वाहन पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक वजन की मात्रा में भरकर प्रकाष्ठ का अभिवहन नहीं करेगा। सीमा से अधिक वजन के वाहनों के संचालन पर रोक लगाने हेतु जिला पंचायत के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा अग्रेत्तर कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

7. प्रकाष्ठ का अभिवहन करने के सन्दर्भ में अनुमति किये जाने हेतु वाहन चालक/वाहन मालिक से जिला पंचायत मुजफ्फरनगर द्वारा प्राप्त की जाने वाले अनुमति शुल्क की दरें निम्नानुसार होगी :-

		रुपये	
(1)	ट्रक (6 टायर से अधिक)	150.00	प्रति फेरा
(2)	ट्रक (06 टायर तक)	100.00	प्रति फेरा

(3)	ट्रैक्टर ट्रॉली (02 टायर से अधिक)	150.00	प्रति फेरा
(4)	ट्रैक्टर ट्रॉली (02 टायर वाली)	100.00	प्रति फेरा
(5)	पशुगाड़ी	20.00	प्रति फेरा
(6)	मिनी ट्रक	50.00	प्रति फेरा
(7)	अन्य छोटे वाहन (उपरोक्त के अतिरिक्त)	20.00	प्रति फेरा

8. जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर अनुमति शुल्क की वसूली हेतु ठेकेदार भी नियुक्त कर सकती है जिसकी अवधि प्रति वर्ष 01 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च तक होगी। जिला पंचायत उक्त कार्य को एक वर्ष अथवा तीन वित्तीय वर्ष हेतु सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेकेदार के माध्यम से ठेके पर देकर करा सकती है। ठेका की अवधि को बढ़ाया जाना अथवा घटाया जाना अपर मुख्य अधिकारी की संस्तुति पर /अध्यक्ष, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर के विवेक पर होगा। नीलामी तब तक अन्तिम नहीं होगी जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत न हो जाये।
9. जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर के अपर मुख्य अधिकारी या उसके प्राधिकृत अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार द्वारा अनुमति शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त अदाकर्ता को मुद्रित क्रमांक युक्त, हस्ताक्षरयुक्त रसीद अनिवार्यतः देगा।
10. शुल्क की वसूली के कार्य को ठेके पर देने की स्थिति में अध्यक्ष, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर द्वारा गठित नीलाम समिति द्वारा ठेका नीलामी द्वारा सार्वजनिक बोली द्वारा बोलकर दिया जायेगा। मिलकर बोली बोलने एवं उपयुक्त बोली न प्राप्त होने की दशा में नीलाम समिति द्वारा नीलाम स्थगित किया जायेगा।
11. अपर मुख्य अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर किसी भी समय दौरान ठेका इस उपविधियों का उल्लंघन करने पर ठेके को निलम्बित या रद्द कर सकती है और इस सन्दर्भ में होने वाली क्षति पूर्ति की वसूली सम्बन्धित ठेकेदार से की जायेगी।
12. शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने की स्थिति में ठेकेदार द्वारा जारी की जाने वाली रसीदों की रसीद बही जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर

के किसी भी अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर दिखाना होगा। ठेकेदार निर्धारित शुल्क की दर से ही शुल्क वसूल करेगा और शुल्क अदाकर्ता के पक्ष में रसीद जारी करेगा और भरी हुई रसीद बही प्रतिपर्णों सहित कार्बन कापी को कार्यालय जिला पंचायत में जमा करना होगा।

13. शुल्क वसूली के कार्य में प्रयुक्त होने वाली रसीद बहियां ठेकेदार द्वारा अपने व्यय पर तैयार करानी होगी तथा अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी करने के उपरान्त ही प्रयोग में लायी जायेगी।

14. इन उपविधियों के अनुसार प्रकाष्ठ का अभिवहन के समय वाहन मालिक/चालक द्वारा शुल्क न देने या जांच के समय प्रमाण स्वरूप देय शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है। ऐसा प्रमाणित होने पर अभिवहन किये जा रहे प्रकाष्ठ को जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर द्वारा नियुक्त/निर्दिष्ठ अधिकारी द्वारा जब्त कर लिया जायेगा।

15. बार-बार उल्लंघन की स्थिति में वाहन चालक/मालिक के विरूद्ध क्षतिपूर्ति हेतु माननीय न्यायालय में नियमानुसार वाद योजित किया जायेगा। वाद व्यय वाहन चालक/मालिक को अदा करना होगा तथा वाद की स्थिति में निर्धारित शुल्क के साथ 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क एवं 50.00 रुपये समझौता शुल्क अलग से अदा करना होगा।

16. यदि जब्त किये गये अधिकार में लिये गये, प्रकाष्ठ को अधिकार में लेने के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित द्वारा निर्धारित शुल्क अदा नहीं किया गया तो अधिकार में लिये गये प्रकाष्ठ का आवश्यकतानुसार आंशिक रूप से पंचायत द्वारा विक्रय करके नियत शुल्क व अन्य व्यय पूर्णरूप से किया जायेगा और शेष माल सम्बन्धित को अपर मुख्य अधिकारी या निर्दिष्ट अधिकारी के द्वारा प्रकाष्ठ की वापसी के लिए प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र के आधार पर वापस कर दिया जायेगा।

17. यदि उपविधि संख्या 14 के अनुसार अधिकार में लिये गये माल के शुल्क के बराबर अंश को बेच देने पर वाहन मालिक/चालक अपने अवशेष

माल को लेने के लिए 15 दिन के अन्दर प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो जिला पंचायत उक्त अवशेष माल का निस्तारण सार्वजनिक बोली द्वारा विक्रय करके कर दिया जायेगा और प्राप्त धनराशि जिला निधि में जमा कर दी जायेगी।

18. समस्त शासकीय व अर्द्धशासकीय वाहन इस शुल्क से मुक्त होंगे। स्वयं किसानों द्वारा अपने प्रकाष्ठ का अभिवहन करने पर इस शुल्क से मुक्त रखा जायेगा। किन्तु इसके लिए ऐसा ठोस प्रमाण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिससे यह स्पष्ट हो कि किसान द्वारा अपने स्वयं के लिए प्रकाष्ठ का अभिवहन स्वयं के वाहन से किया जा रहा है।

19. उपविधियों के अनुसार शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने के निर्णय की स्थिति में ठेके की एक वर्ष की पूर्ण धनराशि नकद कार्यालय जिला पंचायत में अग्रिम जमा करानी होगी।

20. उपविधियों के अनुसार शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर दिये जाने के निर्णय की स्थिति में अपर मुख्य अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर समय, काल, परिस्थितियों के अनुसार शरायतें नियत कर कार्य ठेके पर दिये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

21. ठेकेदार की ओर बकाया धनराशि वाद के द्वारा वसूल किये जाने के अधिकार पर बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव के भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूल किये जाने का अधिकार जिला पंचायत को होगा।

22. उपविधियों के अनुसार शुल्क वसूली का कार्य ठेका पर दिये जाने की स्थिति में नीलाम स्वीकृति की सूचना के एक सप्ताह के अन्दर नीलाम क्रेता को अनुमन्य स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करना होगा। स्टाम्प पेपर के मूल्य के व्यय को वहन करने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ठेकेदार का होगा।

23. अनुबन्ध–पत्र निष्पादित करने की चूक की स्थिति में नीलाम का उल्लंघन माना जायेगा। ऐसी स्थिति में सक्षम प्राधिकारी, अध्यक्ष, जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर को नीलाम निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

24. अपर मुख्य अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध 15 दिन के भीतर अध्यक्ष, जिला पंचायत को अपील की जा सकती है। अध्यक्ष जिला पंचायत का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा।

25. केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा पारित अधिनियम की किसी भी धारा/नियम का उल्लंघन यदि होता है तो उस सीमा तक यह उपविधियां संशोधित मानी जायेगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो रुपये 1000.00 (रुपये एक हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित किया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराध करता रहा है। रुपये 50.00 (रुपये पचास मात्र) तक हो सकेगा अथवा अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास के दण्ड से दण्डित किया जायेगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

(प्रमोद कुमार)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर

अध्यक्ष/
शासन द्वारा नामित समिति
जिला पंचायत, मुजफ्फरनगर